प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'उनतालीस'

[5/12/2017]

प्रश्न सं. [क. 2943]

विषय– टेकहोम राशन वितरण की विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 27/09/2017– कार्यवाही विवरण ।

विषयान्तर्गत आंगनवाडियों के बच्चों को पोषण आहार (टी0एच0आर0) उपलब्ध कराये जाने हेतु अन्तर्विभागीय समिति की अष्टम बैठक आज दिनांक 27/9/17 को आयोजित की गई । बैठक में निम्नानुसार सदस्यगण उपस्थित हुए :–

1– माननीय मंत्रीजी, महिला एवं बाल विकास विभाग

2– माननीय मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

3– अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

4– प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग

5– सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ।

2– बैठक में विषयान्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय, इन्दौर में दर्ज याचिका डब्ल्यू पी– 6995/2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश दिनांक 13/9/17 को अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश, भारत सरकार के निर्देश एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व के निर्देशों एवं समिति द्वारा पूर्व में की गई अनुशंसा को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा वर्तमान स्थिति में निम्नानुसार निर्देश दिये गये :–

(1) समिति की बैठक दिनांक 18/10/16 को निर्देशित किया गया था कि स्व–सहायता समूह के अतिरिक्त राज्यों के पब्लिक सैक्टर अन्डरटेकिंग, जो पोषण आहार निर्माण करते हों, को टेण्डर में भाग लेने की अनुमति दी जाये । इस बैठक के पश्चात् भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पूरक पोषण (समेकित बाल विकास सेवा) नियम 2017 जारी किये गए है । खाद्य सुरक्षा अधिनियम –2013 की शक्तियों का उपयोग करते हुए भारत सरकार द्वारा पूरक पोषण आहार नियम जारी किये गये, जिसके नियम–7 में भोजन तैयार करने तथा उसकी गुणवत्ता का मानक का अनुरक्षण के प्रावधान एवं नियम –9 में पूरक पोषण की निगरानी और समीक्षा के प्रबंधन का उत्तरदायित्व

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग

निर्धारित किया गया है एवं इन उत्तरदायित्वों में "राज्य, जिला, विकासखण्ड, आंगनवाडी स्तर पर गठित निगरानी एवं समीक्षा समितियां समय-समय पर केन्द्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में परिभाषित उनकी भूमिका के अनुसार जल एवं सफाई सुविधा सुनिश्चित करने, आंगनवाडी केन्द्रों का नियमित कार्यकरण सुनिश्चित करने, आंगनवाडी केन्द्रों पर बिना किसी बाधा के पूरक पोषण की नियमित आपूर्ति और आयोडीन युक्त और आयरन संपुष्टिकृत आयोडीन युक्त नमक का उपयोग सुनिश्चित करने, मानकों के अनुसार विभिन्न स्तरों पर निगरानी एवं पर्यवेक्षण दौरे, सुनिश्चित करने, आंगनवाडी केन्द्रों पर पूरक आहार की प्रदायगी की विधि, स्व-सहायता समूहों की भागीदारी, उनके माध्यम से पूरक पोषण की आपूर्ति एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने और उपरोक्त से संबंधित सभी अन्य मुद्दों के लिये जिम्मेदार होंगे । बशर्ते कि स्व-सहायता समूहों की भागीदारी होने तक, पूरक पोषण की आपूर्ति केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा मौजूदा नियमों एवं विनियमों के अनुसार ऐसे अन्य स्त्रोतों अथवा अनुमोदित एजेंसियों से सुनिश्चित की जाएगी ।"

3- उपर्युक्त नियमों के अनुसार समिति अनुशंसा करती है कि :-

(1) टी0एच0आर0 उत्पादन एवं प्रदायगी की व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण संभागीय स्तर भोपाल, इन्दौर, रीवा, सागर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन तक किया जावे, ताकि उपर्युक्त नियम-7 (1) एवं नियम-9 के प्रावधानों का पालन हो सके ।

(2) स्व-सहायता समूह/स्व-सहायता समूहों का फेडरेशन, जो उत्पादन एवं प्रदायगी करने में रुचि रखते हैं, को टेण्डर में भाग लेने की पात्रता होगी ।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग

(3) अगर प्रथम टेण्डर में योग्य स्व-सहायता समूह/स्व-सहायता समूह का फेडरेशन उपलब्ध न हो तो अन्य विकल्पों पर विचार किया जावे ।

(4) जारी टेण्डर में यह प्रावधान किया जावे कि टेण्डर प्रकिया अवधि में यदि भारत सरकार द्वारा किसी नवीन नीति का निर्धारण किया जावे, तो शर्तों में बदलाव किया जावेगा ।

(5) उपर्युक्त निर्देशों के साथ दिनांक– 10/10/17 के पूर्व टेण्डर जारी किये जाये ।

(6) नियम–9 के प्रावधानों अनुसार स्व–सहायता समूहों की भागीदारी होने तक पोषण आहार की आपूर्ति पूर्वानुसार सुनिश्चित की जावे ।

(7) इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश दिनांक 13/9/17 की वस्तुस्थिति से भारत सरकार को अवगत कराया जावे ।

(अर्चना चिटनिस)
मंत्री
महिला एवं बाल विकास

(रुस्तम सिंह)
मंत्री
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

(दीपक खाण्डेकर)
अपर मुख्य सचिव,
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी

(जे0एन0 कांसोटिया)
प्रमुख सचिव
महिला एवं बाल विकास

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग